



# जनपद शामली पुलिस



**--सोशल मीडिया सेल शामली--**

**प्रेसविज्ञप्ति**

**दिनांक 24.11.2022**

## **थाना थानाभवन**

**थाना थानाभवन पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार , कब्जे से 10 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद ।**

आज दिनांक 24.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा सूचना पर 01 मादक पदार्थ तस्कार को 10 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा पोस्त सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

### **नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-**

1.समीर पुत्र अशरफ निवासी मौहल्ला रैत्ती कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली ।

### **बरामदगी का विवरण:-**

1.अवैध डोडा पोस्त 10 किलो 500 ग्राम ।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1.व0उ0नि0 श्री संदीप थाना थानाभवन जनपद शामली ।

2.का0 अमरपाल थाना थानाभवन जनपद शामली ।

3.का0 आशीष कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली ।



## थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामद ।

दिनांक 24.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को 02 चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

### नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. मसीउल्ला पुत्र बजीर निवासी ग्राम हसनपुर लुहारी थाना थानाभवन जनपद शामली ।
2. इस्तकार पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम हसनपुर लुहारी थाना थानाभवन जनपद शामली ।

### बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध 02 चाकू ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली ।
2. है0का0 तारा सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली ।
3. का0 धर्मेन्द्र कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली ।



## थाना गढीपुख्ता

**थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा 02 मादक पदार्थ तस्करी गिरफ्तार , कब्जे से 3 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा पोस्त एवं तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद:-**

आज दिनांक 24.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा सूचना पर 02 मादक पदार्थ तस्करी को 3 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा पोस्त एवं तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना गढीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### **नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-**

- 1.सचिन शर्मा पुत्र राकेश शर्मा निवासी किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ।  
हाल निवासी प्रीतम तावडा मौहल्ला शान्ति नगर जनपद शामली ।
- 2.मनीष वर्मा पुत्र स्व सुभाष वर्मा निवासी मौ0 शान्ति नगर थाना कोतवाली जनपद शामली ।

### **आपराधिक इतिहास अभियुक्त सचिन शर्मा उपरोक्त:-**

- 1.मु0अ0स0 104/14 धारा 420, 328 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2.मु0अ0स0 19/20 धारा 60/72 आबकारी अधि0 थाना बालैनी जनपद बागपत ।

### **आपराधिक इतिहास अभियुक्त मनीष वर्मा उपरोक्त:-**

- 1.मु0अ0स0 242/18 धारा 307,323,324,427,504,506 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2.मु0अ0स0 403/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली जनपद शामली ।

### **बरामदगी का विवरण:-**

- 1.अवैध डोडा पोस्त 3 किलो 200 ग्राम ।
- 2.तस्करी में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल डिस्कवर न0-KA-05HK-0149

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- 1.उ0नि0 श्री शिवनन्दन थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।
- 2.उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।
- 3.का0 अंकित कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।
- 4.का0 लक्ष्मीकान्त थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।



## थाना कांधला

### थाना कांधला पुलिस द्वारा युवती से रास्ता रोककर छेड़छाड़ करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 24.11.2022 को कांधला क्षेत्रान्तर्गत युवती के साथ रास्ता रोककर छेड़छाड़ करने के संबंध में पीड़िता द्वारा थाना कांधला पर तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिल तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक थाना कांधला को दिये गये थे।

जिसके क्रम में आज दिनांक 24.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा युवती से छेड़छाड़ करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. विपिन कुमार पुत्र देवेन्द्र कुमार निवासी रेल मण्डी थाना कांधला जनपद शामली।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि श्री संजय कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

2. है०का० प्रताप शर्मा थाना कांधला जनपद शामली।



**उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में शामली पुलिस द्वारा एक राय होकर गोली मारकर हत्या करने के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते 04 अपराधियों को मा0 न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई गयी आजीवन कठोर कारावास की सजा एवं 32,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया ।**

अवगत कराना है कि वर्ष 20 13 में थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण 1.नरेन्द्र, 2.वीरेन्द्र, 3.परविन्दर उर्फ प्रमेन्द्र, 4.सुरेन्द्र पुत्रगण हरीपाल निवासीगण ग्राम लपराना थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा राजवीर पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम लपराना थाना झिंझाना जनपद शामली की एक राय होकर गोली मारकर हत्या करने की घटना कारित की थी । घटना के संबंध में मृतक के भतीजे द्वारा थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दाखिल की गई थी । दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 53/2013 धारा 147,148,149,302,506 भादवि व 7 क्रि0ला0अ0 एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था । थाना झिंझाना पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । जिसका विचारण माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कैराना शामली में किया गया । शामली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के आधार पर एक राय होकर गोली मारकर हत्या करने के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा आज दिनांक 24.11.2022 को 04 अभियुक्तों नरेन्द्र, वीरेन्द्र, सुरेन्द्र, परविन्दर उर्फ प्रमेन्द्र उपरोक्त को विचारणोपरान्त दोषी पाते हुए प्रत्येक को धारा 302/149 भादवि में आजीवन कठोर कारावास व 5,000/-, 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास, धारा 148 भादवि में 02-02 वर्ष कठोर कारावास व 1000/-,1000/- रुपये अर्थदंड व अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 506 भादवि में 02-02 वर्ष कठोर कारावास व 1000/-,1000/- रुपये अर्थदंड व अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह का अतिरिक्त कारावास एवं 7 सीएलएक्ट में 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है तथा मु0अ0सं0 86,87,88,112/2013 धारा 25/27 आयुध अधिनियम में नरेन्द्र, वीरेन्द्र, सुरेन्द्र, परविन्दर उर्फ प्रमेन्द्र उपरोक्त को 03-03 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 1000/-,1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है । पीडित परिवार ने अभियुक्तों को सजा कराने में पुलिस द्वारा निभाई गयी महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की है ।

**नाम व पता अभियुक्तगण:-**

- 1.नरेन्द्र हरीपाल निवासी ग्राम लपराना थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 2.वीरेन्द्र हरीपाल निवासी ग्राम लपराना थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 3.परविन्दर उर्फ प्रमेन्द्र हरीपाल निवासी ग्राम लपराना थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 4.सुरेन्द्र पुत्र हरीपाल निवासी ग्राम लपराना थाना झिंझाना जनपद शामली ।